संक्षिप्त

प्रशिक्षण शिविर संपन्न

निवाई। राजस्थान राज्य सहकारी संघ जयपुर एवं दी सैन्ट्रल को ऑपरेटिव बैंक लि. के सयुंक्त तत्वावधान में किसान क्रय विक्रय सहकारी समिति कार्यालय पर शाखा निवाई एवं बनस्थली की बहुउद्देशिय ग्राम सेवा सहकारी समितियों के प्रबन्धकारिणी सदस्यों का एक दिवसीय प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया गया। मुख्यावक्ता राजस्थान राज्य सहकारी संघ जयपुर के मुख्य कार्यकारी मोहम्मद रफीक ने सहकार से समृद्धि योजना पर वितृत जानकारी प्रदान की। उन्होंने सहकारी समिति को बहुउद्द्देशिय बनाने के लिए किए जाने वाले नवाचारों पर भी प्रकाश डाला। किसान क्रय विक्रय सहकारी समिति निवाई के प्रबन्धक एवं विभागीय निरीक्षक विष्णु जांगिड ने समिति के उपनियमों एवं क्रय विक्रय की योजनाओं पर जानकारी दी। फर्टिस इंडिया लिमिटेड के प्रतिनिधि अविनाश जैन ने सरकार की बजट घोषणा के अनुसार खेत से खरीद कार्यक्रम पर जानकारी प्रदान की। संघ के सहायक सहकारी शिक्षा अधिकारी शिवराज शर्मा ने सहकारी समिति की प्रबन्ध व्यवस्था, सहकारिता के सिद्धांत व जागरूकता पर प्रशिक्षण दिया। शिविर में 77 प्रशिक्षणार्थियों ने भाग लिया।

सामाजिक एकता सम्मेलन आयोजित

दूदू । केंद्रीय एवं विधि न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि महर्षि खीवण महाराज के आदर्शों को प्रेरणादायी बताते हुए समाज में शिक्षा और समरसता के प्रसार पर जोर दिया तथा ई लाइब्रेरी एवं छात्रावास भवन निर्माण के लिए 50 लाख रुपए की घोषणा की नगर पालिका मुख्यालय दूदू पर स्थित अखिल भारतीय महर्षि खीवण पीठ अलख आश्रम परिसर में मूर्ति अनावरण एवं कलश स्थापना विशाल सामाजिक एकता सम्मेलन के दौरान मुख्य अतिथि के रूप में विचार व्यक्त किया साथ ही कहां की शिक्षा के बिना समाज का विकास संभव नहीं है दो दिवसीय कार्यक्रम का शुभारंभ वैदिक मंत्रोच्चार एवं हवन यज्ञ के साथ किया गया आचार्य पंडित प्रकाश दास महाराज ऋषि पीठ फुलेरा के सानिध्य में धार्मिक अनुष्ठान संपन्न किए गए।

स्वागतम सम्मान समारोह आयोजित

चाकसू। दी बार एसोसिएशन चाकसू की ओर से चाकसू में नवनियुक्त अपर जिला न्यायाधीश विकास मारग , एवं अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट क्रम 15 चाकसू स्वाति व्यास का अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पद पर पदोन्नत होकर टोंक स्थानांतरण पर सम्मान कर विदाई दी गई।
इस अवसर पर उपखंड अधिकारी चाकसू के पद पर नव नियुक्त डॉक्टर सरिता शर्मा का भी स्वागत किया गया

'डाकघर आपके द्वार' शिविर आज

दौसा। भारतीय डाक विभाग में भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं को घर घर तक पहुंचाने के लिए डाक विभाग की और से बुधवार को सिण्डोली अटल सेवा केन्द्र में एक दिवसीय डाकघर आपके द्वार शिविर का आयोजन किया जाएगा।

'पॉलीहाउस से बदल रही किसानों की तकदीर, कम लागत में ज्यादा मुनाफा लें'

किशनगढ़ बास के जगता बसई में कलेक्टर ने पहुंचकर पॉलीहाउस का निरीक्षण किया ।

- उन्होंने ने निरीक्षण के दौरान पॉलीहाउस में हो रही सब्जी की खेती, तापमान नियंत्रण, ड्रिप सिस्टम और उत्पादन की पूरी प्रक्रिया को बारीकी से देखा।
- किसानों से सीधा संवाद कर नवाचार के लिए प्रेरित किया

किशनगढ़ बास। सरकार की मंशा है कि किसान परंपरागत खेती के साथ आधुनिक तकनीक अपनाकर उच्च मूल्य वाली फसलें उगाएं और अपनी आमदनी बढ़ाएं। यह बात जिला कलेक्टर अतुल प्रकाश ने मंगलवार को किशनगढ़ बास की पंचायत जगता बसई में उद्यान विभाग द्वारा अनुदान पर बने पॉलीहाउस के निरीक्षण के दौरान किसानों से सीधा संवाद कर नवाचार के लिए प्रेरित करते हुए कही।

उन्होंने ने निरीक्षण के दौरान पॉलीहाउस में हो रही सब्जी की खेती, तापमान नियंत्रण, ड्रिप सिस्टम और उत्पादन की पूरी प्रक्रिया को बारीकी से देखा। कलेक्टर ने किसानों से योजना से मिले अनुदान, उत्पादन क्षमता, लागत और मंडी में मिल रहे दाम की जानकारी ली। किसानों ने कलेक्टर को बताया कि पॉलीहाउस से बेमौसम सब्जी उगाकर पहले से तीन गुना तक ज्यादा मुनाफा हो रहा है।

किसानो को कलेक्टर अतुल प्रकाश ने कहा कि राज्य सरकार किसानों की आय बढ़ाने के लिए कई योजनाएं चला रही है। पॉलीहाउस, शेडनेट हाउस, ड्रिप-मिनी स्प्रिंकलर, फलदार पौधारोपण, सौर ऊर्जा पंप और जैविक खेती पर 50 से 75 प्रतिशत तक अनुदान दिया जा रहा है। उन्होंने कहा, किसान इन योजनाओं का लाभ लेकर कम पानी और कम लागत में सालभर सब्जी-फल उगा सकते हैं। बाजार में उच्च मूल्य वाली फसलों की मांग है, जिससे आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। इस दौरान कलेक्टर ने उद्यान विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि पात्र किसानों तक योजनाओं की जानकारी समय पर पहुंचे। आवेदन से लेकर स्वीकृति तक की प्रक्रिया सरल और पारदर्शी हो, ताकि किसी किसान को दफ्तरों के चक्कर न लगाने पड़ें। उन्होंने निर्देश दिए हर ब्लॉक में कैंप लगाकर किसानों को तकनीकी प्रशिक्षण भी दिया जाए। कलेक्टर ने किसानों से रासायनिक खाद का उपयोग कम कर जैविक खेती अपनाने की अपील की। उन्होंने कहा कि जैविक उत्पादों को बाजार में अच्छे दाम मिलते हैं और जमीन की उर्वरा शक्ति भी बनी रहती है। सरकार जैविक आदान, वर्मी कंपोस्ट यूनिट और प्रमाणीकरण पर भी अनुदान दे रही है। निरीक्षण के दौरान सहायक निदेशक उद्यान विभाग गोपाल मीणा ने जिले में चल रही योजनाओं की प्रगति बताई।

इस मौके पर उद्यान विभाग के कर्मचारी और बड़ी संख्या में प्रगतिशील किसान मौजूद रहे। कई किसानों ने मौके पर ही पॉलीहाउस और ड्रिप योजना में आवेदन करने की इच्छा जताई।

देवली में होटल पर डीएसटी टोंक व पुलिस की कार्रवाई

- यह कार्रवाई जहाजपुर पुलिस उपाधीक्षक रेवड़मल मौर्य के नेतृत्व में हनुमान नगर थाना प्रभारी गणेश ने जहाजपुर, पंडेर और शक्करगढ़ थाने के पुलिस जाप्ते के साथ होटल पर दबिश दी थी ।
- 18 घंटे पहले पुलिस ने कान गढ़ होटल से 48 लोगों हिरासत में लिया और 78 चौपाइयां वाहन.भी जप्त किये 18 घंटे बाद हिरासत में लिए 48 लोगों को पुलिस ने झोलाछाप डॉक्टर बता कर रिहा कर दिया।

देवली। सोमवार की शाम को यहां कान गढ़ पैलेस पर डीएसटी टोंक और हनुमान नगर थाना पुलिस ने अचानक से दबिश देकर 48 संदिग्धों को पकड़ा,और 78 वाहन जब्त किये। लेकिन 18 घंटे बाद ही पुलिस ने हिरासत में लिए सभी 48 व्यक्तियों को झोलाछाप डॉक्टर बता कर न्यायालय से रिहा करवा दिया। मामला यह है कि सोमवार को देवली शहर के निकटवर्ती हनुमान नगर थाना क्षेत्र के कोटा रोड पर स्थित एक होटल में टोंक जिला स्पेशल टीम और हनुमान नगर पुलिस ने एक संयुक्त कार्यवाही करते हुए हनुमान नगर क्षेत्र की कानगढ़ पैलेस होटल मे दबिश देकर 48 व्यक्तियों को पहले तो शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार किया है.। 18 घंटे बाद सभी हिरासत में लिए व्यक्तियों को ने झोलाछाप डॉक्टर बात कर रिहा कर। हनुमान नगर थाना पुलिस के अनुसार हिरासत में लिए सभी व्यक्ति होटल कान गढ़ पैलेस में घुटने के दर्द का इलाज करने के लिए आए हुए थे। पुलिस ने यह भी बताया कि इन व्यक्तियों के पास से 23 लाख 50 हजार रुपए की नगद राशि भी बरामद हुई है। मामला सोमवार की की देर शाम का था.। हुआ यह है कि डीएसटी टोंक और हनुमान नगर थाना पुलिस ने ओचक अभियान चलाकर क्षेत्र के कानगढ़ पैलेस होटल में बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। हनुमान नगर थाना पुलिस को मुखबिर और टोंक डीएसटी से सूचना मिली थी कि थाना क्षेत्र की होटल कान गढ़ पैलेस में बड़ी संख्या में संदिग्ध लोग एकत्रित हो रहे हैं। डीएसटी टोंक हनुमान नगर थाना पुलिस ने इस मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए जहाजपुर उपाधीक्षक रेवड़मल मौर्य के नेतृत्व में हनुमान नगर थाना प्रभारी गणेश राम मीणा ने जहाजपुर, पंडेर और शक्करगढ़ थाने के पुलिस जाप्ते के साथ होटल पर दबिश दी। इस दौरान पुलिस की इस अचानक कार्रवाई से होटल में अफरा-तफरी मच गई और संदिग्ध लोग भागने सफल हो गए।

विश्व हाइपर टेंशन दिवस पर स्वास्थ्य शिक्षा कार्यक्रम आयोजित

चिकित्सकों ने विश्व हाइपर टेंशन दिवस मनाया।

मनोहरपूर। विश्व हाइपर टेंशन दिवस पर रजनीश हॉस्पिटल में स्वास्थ्य शिक्षा कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें स्वास्थ्य कर्मियों, स्टूडेंट को हाइपरटेंशन यानी हाई बीपी के खतरों के बारे मे सचेत किया गया। डॉ रजनीश शर्मा ने कहा की हाइपरटेंशन एक साइलेंट किलर है बीपी ज्यादा होने पर ब्रेन अटैक कार्डियक अटैक किडनी अटैक और आंखों पर अटैक करके घातक परिणाम दे सकता है। ब्लड प्रेशर चेक करके उसे नियंत्रित रखें तो इन खतरों से बचा जा सकता है सामान्य ब्लड प्रेशर 120/80 होता है और 140/90 से अधिक होने पर उसे हाई बीपी या हाइपरटेंशन कहते हैं। इस वर्ष की थीम है आओ मिलकर ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करें,नियमित बीपी चेकअप करें,और हाई ब्लड प्रेशर के खतरों से बचाए। डॉ भारत शर्मा की देखरेख में निशुल्क बीपी चेक किया गया डॉ कानन शर्मा ने महिलाओं में हाई ब्लड प्रेशर के खतरों के बारे में बताया कि गर्भावस्था में हाई बीपी से दौरे,शरीर पर सूजन आ सकता है, और जान का खतरा हो जाता है। इस अवसर पर एक जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। डॉ रजनीश शर्मा ने बताया की हर महीने की 18 तारीख को स्कूल और कॉलेज में 13 वर्ष से ऊपर के विद्यार्थियों का ब्लड प्रेशर चेक किया जाएगा 10 में से एक विद्यार्थियों में हाई बीपी पाया गया है।

इस अवसर पर डॉक्टर पुष्पेंद्र शर्मा, डॉक्टर हर्षित शर्मा, डॉक्टर नमन,राघव शर्मा विनोद सिंह, भगवान सिंह,राजेश शर्मा सुशीला चौधरी, सूरज, प्रकाश जाट ने सम्बोधित किया। स्वास्थ्य शिक्षा कार्यक्रम और रैली में सैकड़ो लोगों ने भाग लिया और कर लिया की साइलेंट किलर से अपने अपने को और अपने समाज को बचाएंगे।

बैठक आयोजित

टोंक। भीषण गर्मी और हीट वेव को देखते हुए जिला प्रशासन की ओर से आमजन को राहत देने के हर संभव प्रयास किये जा रहे है। जिला कलेक्टर टीना डाबी ने जलदाय विभाग को निर्देश दिए है कि आमजन की शिकायतों एवं समस्याओं का त्वरित समाधान किया जाएं।

जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के अधीक्षण अभियंता राजेश गोयल ने बताया कि आमजन पेयजल को लेकर परेशान नहीं हो, इसे लेकर विभाग पेयजल की आपूर्ति एवं सुधार के लिए त्वरित कार्यवाही कर रहा है। साथ ही, पेयजल लाइनों में अवैध कनेक्शन हटाने की कार्यवाही भी लगातार की जा रही है। ग्राम पचाला में पेयजल आपूर्ति करने वाली बेगमपुरा स्थित नलकूप की पाइपलाइन में लीकेज होने के कारण बस स्टैंड के बाहरी क्षेत्रों के 30 घरों की जल आपूर्ति प्रभावित हो रही थी। जलदाय विभाग द्वारा लीकेज को ठीक कर जल आपूर्ति सुचारु कर लोगों को राहत दी गई।

एसडीएम ने उप जिला अस्पताल का निरीक्षण किया

- अव्यवस्थाओं को तत्काल सुधारने के दिए निर्देश

निवाई। नव नियुक्त एसडीएम अजीत सिंह राठौड़ ने उप जिला अस्पताल का औचक निरीक्षण करके आवश्यक दिशा निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान दवा वितरण केंद्र पर दवाईयां लेने के लिए महिलाओं और पुरुषों की लंबी कतारें लगी हुई मिलीं।

इस पर एसडीएम राठौड़ ने पीएमओ डॉ. राजेश जैन को ऐसी स्थिति न बनने देने के निर्देश दिए। इसके अलावा अस्पताल के शौचालयों में साफ-सफाई की स्थिति बेहद खराब पाई गई। इसको लेकर उन्होंने नियमित और सुचारू रूप से सफाई की व्यवस्था करने के निर्देश दिए। इसके बाद एसडीएम राठौड़ ने इंडोर में भर्ती मरीजों से अस्पताल में मिल रही चिकित्सा सुविधाओं के बारे में पूछा। निरीक्षण के दौरान आमजन और मरीजों के परिजनों ने एसडीएम को बताया कि चिकित्सालय परिसर में आए दिन जेबकतरों द्वारा वारदातें की जा रही हैं। जिस पर तुरंत संज्ञान लेते हुए एसडीम ने थानाधिकारी घासीराम से मौके पर ही दूरभाष से अस्पताल परिसर में आवश्यक पुलिस जाप्ता तैनात करने के निर्देश दिए।

निरीक्षण के दौरान अस्पताल के पीएमओ डॉक्टर राजेश जैन ने एसडीएम को बताया कि 19 अप्रैल से 18 मई तक 27 हजार 835 की ओपीडी हुई है। आईपीडी में 1000 मरीज भर्ती हुए हैं।अस्पताल में 117 तरह की जांचों की सुविधा उपलब्ध हैं तथा 117 ही प्रकार की दवाइयां भी उपलब्ध हैं। उन्होंने बताया कि प्रतिदिन 70 से 90 एक्स-रे किए जा रहे हैं तथा 30 से 40 मरीजों की सोनोग्राफी हो रही है।

नाम परिवर्तन

मैं मोसिना बानो पत्नी श्री जाकिर हुसैन मैने अपने पुत्र का नाम स्कूल रिकार्ड में अरशद खान (Arshad Khan) से बदलकर अरशद हुसैन (Arshad Hussain) रख लिया है भविष्य में अरशद हुसैन के नाम से जाना जावें। पता-36, सययेद का गटा, टोंक रोड।

मैंने अपना नाम फतेह सिंह से बदलकर रविन्द्र सिंह संधु कर लिया है। अत भविष्य में मुझे इसी नाम से जाना पहचाना जावें। पता-फ्लैट नं. 1 प्लाट नं. 42, शुभ पूजा अपार्टमेन्ट, सुमेर नगर-1 मुहाना मण्डी रोड, मानसरोवर,जयपुर-302020

I have changed my name from Ishita to Ishita Singh daughter of Shri Kartar Singh. I will be known by this name in future purpose. Address- Plot No. 445, Xavier Arked 2nd Jagatpura, Jaipur, Rajasthan 302017

नम्बर मिलाइए
8890333139

सिर्फ एक फोन कॉल पर विज्ञापन घर बैठे बुक करायें।

आम सूचना सर्व साधारण को सुचित किया जाता है, कि प्लॉट नंबर 122 इंदिरा नगर कॉलोनी मानटाउन, सवाई माधोपुर (राजस्थान) श्रीमती माया जैमेनी पत्नि श्री रामेश्वर प्रसाद जैमेनी प्लाट की मालिक होने के कारण विक्रय कर रही है। किसी को आपत्ती हो, तो पांच दिवस में बताये। अन्यथा श्रीमती माया देवी विक्रय कर देगी।
भवदीय
जयपुर (फराज हुसैन एडवोकेट)
दिनांक: 20.05.2026 मो.नं:- 9929797865

आम सूचना
सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि दुकान नम्बर 175, स्थित बापू बाजार, चौकड़ी विश्वेश्वर जी, जयपुर क्षेत्रफल 27.87 वर्गमीटर को नगर परिषद् (Municipal Council), जयपुर द्वारा श्री लालचंद जरिये मुख्त्यारआम श्री अब्दुल अधर को जरिये विक्रय- पत्र (पट्टा) दिनांक 11.09.1962 को जारी किया गया था। तत्पश्चात् श्री लालचंद सिप्पी का स्वर्गवास दिनांक 04.05.1988 को हो गया एवं उनकी प्रथम पत्नी श्रीमती मीना का स्वर्गवास दिनांक 14.12.1976 को तथा द्वितीय पत्नी श्रीमती माया देवी का स्वर्गवास दिनांक 17.11.1980 को उनके स्वर्गवास के पूर्व में हो गया था। श्री लालचंद सिप्पी के स्वर्गवास पश्चात् उनके पुत्र-पुत्री श्री प्रदीप सिप्पी, श्री मनोज सिप्पी, श्री राजेश सिप्पी उर्फ राजेश लालचंद सिप्पी कुमारी रानी सिप्पी एवं श्रीमती प्रीति सिप्पी उर्फ प्रिया मखिजा उनके वारिस/ उत्तराधिकारी हुये तथा उक्त सम्पत्ति के मालिक/ मालकिन काबिज हुये। तत्पश्चात् श्री प्रदीप सिप्पी, श्री मनोज सिप्पी, श्री राजेश सिप्पी उर्फ राजेश लालचंद सिप्पी, कुमारी रानी सिप्पी एवं श्रीमती प्रीति सिप्पी उर्फ प्रिया मखिजा ने उक्त दुकान के अविभाजित 1/2 हिस्से को श्री नानकराम खत्री को एवं अविभाजित 1/2 हिस्से को श्री सुरेन्द्र खत्री को जरिये दो भिन्न-भिन्न पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 18.05.2018 को विक्रय कर दिया। इस प्रकार उक्त दुकान/ सम्पत्ति के मालिक श्री नानकराम खत्री एवं श्री सुरेन्द्र खत्री ने उक्त सम्पत्ति को विक्रय करने का इकरार श्री हरिश बबानी से किया है। जिसकी खरीद हेतु श्री हरिश बबानी ने उक्त सम्पत्ति पर ऋण हेतु YES Bank Ltd. में आवेदन किया हैं। उक्त सम्पत्ति के बाबत् एवं स्व. श्री लालचंद सिप्पी (उर्फ लालचंद) के उत्तराधिकारी की हैसियत से किसी भी व्यक्ति, जनसाधारण, संस्था, बैंक आदि को किसी प्रकार की कोई भी आपत्ति हो तो उक्त सम्पत्ति के सम्बन्ध में निम्न हस्ताक्षरकर्ता के समक्ष उक्त सूचना के प्रकाशन के 7 दिवस में अपना हक या आपत्ति मय दस्तावेज प्रस्तुत करे, अन्यथा YES Bank Ltd. द्वारा उक्त सम्पत्ति को रहन कर लिया जावेगा एवम् उसके पश्चात् किसी प्रकार का कोई हक या अधिकार मान्य नहीं होगा। (पीयूष भार्गव एडवोकेट), मो. 9828300154
6, रघुकमल निवास, गणपति प्लाजा के सामने, एम.आई. रोड, जयपुर
E-mail:-vkbhargavaassociates@gmail.com

कार्यालय उपायुक्त, मालवीय नगर जोन, नगर निगम, जयपुर (नई विधानसभा के पास, लालकोठी, जयपुर)
क्रमांक: एफ()/ न.नि.ज./मा.न.जोन/2026/ 1605 दिनांक 18/05/2026
-: सार्वजनिक सूचना :-
सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि श्री विजय कुमार दावडा पुत्र श्री हन्सराज द्वारा पुर्नवास विकास राजस्थान सरकार द्वारा दिनांक 08.05.1956 क्वाटर नं. 359, 360 गुरूनानकपुरा, राजापार्क, जयपुर का उप विभाजन चाहा गया है। कार्यालय पुर्नवास विभाग जयपुर द्वारा दिनांक 08.05.1956 को क्वाटर सं. 359, 360 क्षेत्रफल 266.66 एवं 266.66 वर्गगज गुरूनानकपुरा, राजापार्क, जयपुर की कन्वेन्स डीड श्री गोवर्धन पुत्र श्री विशनदास के पक्ष में जारी किया गया। श्री गोवर्धन पुत्र श्री विशनदास द्वारा अपंजीकृत वसीयतनामा दिनांक 12.03.2004 के द्वारा भूखण्ड संख्या 359, 360 की वसीयत अपनी धर्मपत्नी श्रीमती दयावती पत्नी श्री रामचन्द्र एवं इनकी मृत्यु उपरान्त उक्त सम्पत्ति मेरे तीनों पुत्र श्री विजय कुमार, श्री कृष्ण कुमार, श्री सुदर्शन कुमार के बीच समान रूप से वितरित किये जाने की वसीयत सम्पादित की गई। श्री गोवर्धन पुत्र श्री विशनदास की मृत्यु दिनांक 17.12.1996 एवं श्रीमती दयावन्ती पत्नि श्री रामचन्द की मृत्यु दिनांक 27.04.1988 को हो गई थी। रजिस्टर्ड बटवारानामा दिनांक 07.01.2002 (1) श्री कृष्ण कुमार वर्मा (2) श्री सुदर्शन कुमार (3) विजय कुमार वर्मा पुत्रान श्री गोवर्धन के मध्य सम्पादित किया गया, जिसके अनुसार सुदर्शन कुमार वर्मा के हिस्से में निम्नानुसार सम्पत्ति आई:-

गुरूनानकपुरा राजापार्क स्कीम, में स्थित क्वार्टर नम्बर 359 व 360 का पूर्वी दक्षिणी कोने वाला हिस्सा जिसकी नाप पूर्व पश्चिम 53 फीट 4 इन्च, उत्तर दक्षिण 30 फीट 6 इन्च जिसका कुल क्षेत्रफल 180.74 वर्गगज 151.11 वर्गमीटर है।

श्री सुदर्शन कुमार वर्मा पुत्र श्री गोवर्धनदास वर्मा ने रजि. मुख्त्यारआम नामा दिनांक 12.03.2004 के द्वारा भूखण्ड संख्या 359, 360 गुरूनानकपुरा, राजापार्क का मुख्तयारआम श्रीमती कमलेश दावडा पत्नि श्री विजय दावडा को नियुक्त किया गया। श्रीमती कमलेश दावडा पत्नि श्री विजय दावडा द्वारा रजि. विक्रय पत्र दिनांक 20.03.2005 बहैसियत मुख्त्यारआम श्री सुदर्शन कुमार वर्मा पुत्र श्री गोवर्धन के द्वारा भूखण्ड संख्या 359, 360 गुरूनानकपुरा, राजापार्क की अपने हिस्से का 90.37 वर्गगज का विक्रय श्री विजय कुमार दावडा पुत्र हन्सराज दावडा को किया गया। आवेदक द्वारा आवेदन के साथ प्रस्तुत किये गये अन्य दस्तावेजों की छायाप्रति के आधार पर क्वाटर नं. 359, 360 गुरूनानकपुरा, राजापार्क, जयपुर का उपविभाजन नगर निगम, जयपुर द्वारा श्री विजय कुमार दावडा पुत्र श्री हन्सराज के पक्ष में किया जाना है। इस बाबत् किसी भी व्यक्ति, संस्था, फर्म, कम्पनी को किसी प्रकार की कोई आपत्ति हो तो 07 दिवस में अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय (उपायुक्त मालवीय नगर जोन, नगर निगम, जयपुर) में प्रस्तुत करें, अन्यथा निर्धारित समयावधि की समाप्ति के बाद, नियमानुसार नाम हस्तांतरण जारी किये जाने की कार्यवाही सम्पादित कर ली जावेगी।
सहायक नगर नियोजक, मालवीय नगर जोन, नगर निगम, जयपुर

MUNICIPAL CORPORATION JAIPUR
(Pandit Deendayal Uppadhyay Bhawan Lalkothi Tonk Jaipur 302015)
No. F-6()DCR-FIRST (J.S)/RO.LIC/N.N.J/2026/1048 Date : 19-05-2026
PUBLIC NOTICE
The licensee M/s/ Indus Tower Limited Jaipur (Particulars of Licensee) has submitted application in this office for granting permission for erection/ installation of telecom tower aboveground telegraph infrastructure on the land or building or location mentioned below :-

Sr. No.	Site ID	Address
1	IN 3484932	On Divider Opposite Appolo Pharmacy, Kalwar Road, Ward No.36, Jhotwara, Jaipur

Therefore, it is hereby informed to all concerned that if, any body has any objection or suggestion on granting permission for installation or establishment of above mentioned telecom infrastructure on the land/location above, he may submit objection or suggestion along with supporting documents before the undersigned during office hours on any working day within 7 days of the publication of this notice.
In absence of any objection/ suggestion within above stipulated time it any be deemed that nobody has objection/suggestion and matter will be disposed off accordingly.
Deputy Commissioner (Revenue-I)
Municipal Corporation, Jaipur

कार्यालय सहायक आयुक्त (प्रथम) देवस्थान विभाग, जयपुर
राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 23 के अधीन नोटिस
समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों को
मुकदमा नम्बर 55/2026
(नाम, वर्णन तथा निवास स्थान)
चूंकि श्री जगपाल सिंह बाजिया अध्यक्ष/प्रन्यासी ने पंजीकृत प्रन्यास बी.आर. मेमोरियल ट्रस्ट जयपुर, 4ए, वार्ड नम्बर-1 विश्वामित्र नगर जयपुर जिसका पंजीयन क्रमांक 54/जयपुर/2009 है के सम्बन्ध में राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 23 के अन्तर्गत प्रपत्र-8 प्रस्तुत किया। प्रन्यास की बैठक कार्यवाही में सर्वसम्मति से लिये गये निर्णय के अनुसार प्रन्यास विधान में संशोधन कर संशोधित विधनतथा श्री भंवरलाल छब्बरवाल व श्री हेमन्त व्यास द्वारा त्याग पत्र दिये जाने के कारण उनका नाम प्रन्यास रिकार्ड से हटाने तथा श्रीमती मंजू चौधरी को नवीन प्रन्यासी नियुक्त कर उक्त परिवर्तनों/संशोधनों को प्रन्यास रिकार्ड में दर्ज अभिलेख किये जाने का निवेदन कर जांच किये जाने के लिए प्रपत्र-8 में आवेदन-पत्र दिया है।
अतएवं धारा 23 में प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में उपर्युक्त प्रन्यास में हुये परिवर्तन/संशोधन जिसकी जांच की जा रही है, मे हित रखने वाले समस्त व्यक्तियों के नाम, व्यापक जानकारी के लिए यह नोटिस प्रकाशित किया जाता है कि वे इस नोटिस के जारी होने की तारीख से तीस दिन के भीतर उक्त प्रन्यास के सम्बन्ध में आपत्तियां, यदि कोई हो प्रस्तुत करें।
यह सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त निर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई आपत्तियां प्रस्तुत नहीं की गई तो उक्त आवेदन पत्र निर्धारित रीति से निर्णित किया जावेगा तथा जांच ग्रसित मामले में निष्कर्ष अभिलिखित किया जावेगा।
आज दिनांक 19.05.2026 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय मोहर के अधीन जारी किया गया।
आइदा तारीख पेशी 24.06.2026
मोहर अदालत
सहायक आयुक्त (प्रथम) देवस्थान विभाग, जयपुर

प्रपत्र संख्या 7
(देखिये नियम 21)
कार्यालय सहायक आयुक्त (प्रथम) देवस्थान विभाग, जयपुर
राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 18 (2) के अधीन नोटिस
समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों को
मुकदमा नम्बर 615/2026
(नाम वर्णन तथा निवास स्थान)
चूंकि श्री विजय कुमार निवासी 74 बदरवास, करणी विहार जयपुर ने राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 17(1) के अन्तर्गत प्रन्यास मास्टर दीप चंद वर्मा मेमोरियल चेरिटेबल ट्रस्ट 74 बदरवास, करणी विहार, जयपुर राजस्थान के सम्बन्ध में जांच किये जाने के लिए आवेदन पत्र दिया है।
अतएवं धारा 18 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में उपर्युक्त प्रन्यास जिसकी जांच की जा रही है में हित रखने वाले समस्त व्यक्तियों के नाम, व्यापक जानकारी के लिए यह नोटिस प्रकाशित किया जाता है कि वे इस नोटिस के जारी होने की तारीख से साठ दिन के भीतर उक्त प्रन्यास के सम्बन्ध में आपत्तियां, यदि कोई हो प्रस्तुत करें।
और यह सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त निर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई आपत्तियां नहीं की गई तो उक्त आवेदन पत्र निर्धारित रीति से निर्णित किया जावेगा तथा जांच ग्रसित मामले में निष्कर्ष अभिलिखित किया जावेगा।
आज दिनांक 14.05.2026 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय मोहर के अधीन जारी किया गया।
आइदा तारीख पेशी 20.07.2026
मोहर अदालत
सहायक आयुक्त (प्रथम) देवस्थान विभाग जयपुर

राजस्थान आवासन मण्डल, वृत्त-तृतीय
जे.एल.एन. मार्ग, जवाहर सर्किल के पास, जयपुर
दूरभाष संख्या-0141-4901853
आम जाहिर सूचना राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर द्वारा फ्लैट संख्या-75-क-2 (GF) लाल कोठी ज्योति नगर, जयपुर क्षेत्रफल 84.00 वर्गगज का नियमितिकरण एवं अदेय प्रमाण पत्र क्रमांक 623/5690, दिनांक 28.03.1999 श्री चन्द्र कान्त गर्ग पुत्र श्री पूरण चन्द गर्ग के पक्ष में जारी किया गया था। नियमितिकरण धारक श्री चन्द्र कान्त गर्ग का देहान्त दिनांक 20.11.2025 को हो जाने के कारण श्रीमती शशि प्रभा गर्ग पत्नी स्व. श्री चन्द्रकान्त गर्ग के द्वारा आवेदन पत्र के साथ जमा प्रशासनिक शुल्क की रसीद स्व-हस्ताक्षरित शपथ-पत्र क्षतिपूर्ति बन्धक पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, स्वयं व अन्य सभी उत्तराधिकारियों के पहचान के दस्तावेज प्रस्तुत कर उक्त फ्लैट का हस्तान्तरण अपने पक्ष में करने का निवेदन किया गया है। अतः उक्त फ्लैट के हस्तान्तरण के संबंध में किसी भी व्यक्ति/बैंक/संस्था को कोई आपत्ति हो तो विज्ञप्ति प्रकाशन के 07 दिवस में अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर साक्ष्य सहित अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर देवें, अन्यथा उक्त अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होने पर उक्त आवेदनकर्ता श्रीमती शशि प्रभा गर्ग पत्नी स्व. श्री चन्द्रकान्त गर्ग पक्ष मे फ्लैट के हस्तान्तरण की कार्यवाही कर दी जावेगी।
सम्पदा प्रबंधक, वृत तृतीय, रा.आ. मण्डल, जयपुर

प्रपत्र संख्या 7
(देखिये नियम 21)
कार्यालय सहायक आयुक्त (प्रथम) देवस्थान विभाग, जयपुर
राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 18 (2) के अधीन नोटिस
समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों को
मुकदमा नम्बर 619/2026
(नाम वर्णन तथा निवास स्थान)
चूंकि श्रीमती अपरा कुच्छल निवसी 62, हरी किशन सोमानी मार्ग, हथरोई फोर्ट, अजमेर रोड जयपुर ने राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 17(1) के अन्तर्गत प्रन्यास ''बी केयर'' (We Care) माया मेंशन जी.पी.ओ. के सामने, एम.आई. रोड जयपुर राजस्थान के सम्बन्ध में जांच किये जाने के लिए आवेदन पत्र दिया है।
अतएवं धारा 18 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में उपर्युक्त प्रन्यास जिसकी जांच की जा रही है में हित रखने वाले समस्त व्यक्तियों के नाम, व्यापक जानकारी के लिए यह नोटिस प्रकाशित किया जाता है कि वे इस नोटिस के जारी होने की तारीख से साठ दिन के भीतर उक्त प्रन्यास के सम्बन्ध में आपत्तियां, यदि कोई हो प्रस्तुत करें।
और यह सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त निर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई आपत्तियां नहीं की गई तो उक्त आवेदन पत्र निर्धारित रीति से निर्णित किया जावेगा तथा जांच ग्रसित मामले में निष्कर्ष अभिलिखित किया जावेगा।
आज दिनांक 19.05.2026 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय मोहर के अधीन जारी किया गया।
आइदा तारीख पेशी 24.07.2026
मोहर अदालत
सहायक आयुक्त (प्रथम) देवस्थान विभाग जयपुर

खोया पाया

मेरे फ्लैट नंबर 12/L/SF/105 इन्दिरा गांधी नगर, जगतपुरा का मूल आवंटन पत्र एवं 173855 की मूल रसीद खो गई है। सूचित करें-7742834354

प्लाट नं. डी-335 श्री गणपति गृह निर्माण सहकारी समिति लि. की योजना बालसिंह विहार 8, बिन्दायका के पास, जयपुर के डुप्लीकेट असल सोसायटी आवंटन पत्र, रशीद, साईड प्लान हिस्सा राशि प्रमाण पत्र दिनांक 5.12.2025 को खो गये है। सूचित करें-विनय मंत्री मो. 9571998996

न्यायालय - अपर जिला न्यायाधीश नैनवां, जिला बूंदी राजस्थान 256 19/5/26
पारिवारिक प्रकरण संख्या - 41/2026
बालकृष्ण उर्फ बालकिशन आयु 62 वर्ष आत्मज श्री राधेश्याम निवासी- वार्ड नं. 10 छोटी चोहटी ग्राम नैनवां तहसील नैनवां जिला बून्दी
मो. 7737253329 ......प्रार्थी
विरुद्ध
सर्व साधारण नागरिकगण समस्त (राज.) ......अप्रार्थी
सार्वजनिक सूचना (मुश्तहरी)
सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि नाबालिग कृष्णांश के पिता स्व. श्री नवीन कुमार सोनी आत्मज श्री बालकृष्ण उर्फ बालकिशन एवं माता स्व. श्रीमती माधुरी सोनी पत्नी स्व. श्री नवीन कुमार सोनी एवं अनुज भाई नाबालिग स्व. विहान सोनी आयु 3 वर्ष निवासीगण वार्ड नम्बर 10 छोटी चोहटी ग्राम नैनवां तहसील नैनवां जिला बून्दी राज. का दिनांक 22.02.2026 को घटित हुई आकस्मिक दुर्घटना में स्वर्गवास हो जाने के तदुपरान्त उसकी चल-अचल सम्पत्तियां व ज्ञात अज्ञात सम्पत्तियां एवं नाबालिग श्रेष्ठ पालन पोषण, पढ़ाई लिखाई, देखरेख उसके हितों के लिए उसके दादा श्री बालकृष्ण उर्फ बालकिशन द्वारा इस न्यायालय में नाबालिग कृष्णांश का विधिक गार्जिन नियुक्त किये जाने हेतु अन्तर्गत धारा 7, 8, 10 गार्जन एण्ड वार्डस एक्ट 1980 बाबत् नाबालिग का नियुक्त करने गार्जिन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। अतः प्रार्थी श्री बालकृष्ण उर्फ बालकिशन को नाबालिग कृष्णांश का विधिक गार्जिन नियुक्त करने में आपत्ति हो तो नियम दिनांक 30.06.2026 को या इससे पूर्व न्यायालय में पेश करें अन्यथा न्यायालय द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र नियमानुसार निस्तारण कर दिया जायेगा। यह नोटिस आज दिनांक 19.05.2026 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय मुद्रा से जारी किया गया।
आज्ञानुसार - रीडर
मोहर
अपर जिला न्यायाधीश
नैनवां जिला बून्दी (राज.)

कार्यालय विकास अधिकारी कम कार्यक्रम अधिकारी पंचायत समिति सेवर
क्रमांक : 25 दिनांक: 18.05.2026
खुली ई-निविदा संख्या 02/2026-27
पंचायत समिति सेवर एवं इसके परिक्षेत्राधीन 25 ग्राम पंचायतों में वित्तीय वर्ष 2026-27 हेतु मनरेगा व ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग की विभिन्न योजनाओं की निर्माण सामग्री आपूर्ति हेतु अनुभवी एंव पंजीकृत फर्मों/संवेदकों/सप्लायरों से दिनांक 31.03.2027 तक के लिये ई-प्रोक्यूरमेंन्टप्रक्रिया से वेबसाईट www.spp.rajasthan.gov.in & eproc.rajasthan.gov.in पर 20.05.2026 तक देखी व डाउनलोड कर प्राप्त की जा सकती है।
विकास अधिकारी कम कार्यक्रम अधिकारी
पंचायत समिति सेवर
NIB NO: ZBH2627A0129
UBN NO: ....

1	मूढौता	ZBH2627GLOB00190	11	इकरन	ZBH2627GLOB00203
2	फुलदारा	ZBH2627GLOB00191	12	माढौनी	ZBH2627GLOB00204
3	बासीखुर्द	ZBH2627GLOB00192	13	सुनारी	ZBH2627GLOB00205
4	झारौली	ZBH2627GLOB00193	14	घुस्थ्वरी	ZBH2627GLOB00206
5	लुधावई	ZBH2627GLOB00194	15	पार	ZBH2627GLOB00207
6	बिलौठी	ZBH2627GLOB00195	16	हथैनी	ZBH2627GLOB00208
7	जाटौली स्थभान	ZBH2627GLOB00196	17	कूम्हॉ	ZBH2627GLOB00209
8	जघीना	ZBH2627GLOB00197	18	महुआ	ZBH2627GLOB00210
9	उंदरा	ZBH2627GLOB00198	19	रूंध इकरन	ZBH2627GLOB00211
10	चिकसाना	ZBH2627GLOB00199	20	खैमरा	ZBH2627GLOB00212
11	बहनेरा	ZBH2627GLOB00200	21	गॉवडी	ZBH2627GLOB00213
12	पीपला	ZBH2627GLOB00201	22	धौरमई	ZBH2627GLOB00214
13	मोराली कलां	ZBH2627GLOB00202	23	पं.स. सेवर	ZBH2627GLOB00189

विकास अधिकारी कम कार्यक्रम अधिकारी
पंचायत समिति सेवर

कार्यालय नगर पालिका जोबनेर जिला जयपुर
क्रमांकः न.पा.जो./2026-27/427 दिनांक 14.05.2026
(सार्वजनिक सूचना)
प्रारूप-5 (नियम 6(2))
सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि नगरपालिका मण्डल जोबनेर में 69 क/स्टेट ग्रान्ट/खांचा भूमि पटटा/नामान्तरण/निमार्ण ईजाजत के तहत् निम्न लिखित पत्रावलियां विचाराधीन है। अगर इन सम्पतीयों का निस्तारण करने में किसी को कोई आपति हो तो 7 दिवस के अन्दर मियाद अपनी आपति सबूतों सहित पालिका में दर्ज करवा सकते है। अवधि पूर्ण होने के बाद किसी भी प्रकार की आपति स्वीकार नही होगी व नियमानुसार अग्रीम कार्यवाही की जायेगी।

69क/स्टेट ग्रान्ट पट्टा/खांचा भूमि पट्टा

क्रं. सं.	आवेदक का नाम मय पिता/पति	वार्ड/कॉलोनी/गली का नाम	आसे पासे का विवरण: पूर्व	पश्चिम	उत्तर	दक्षिण	आवासीय/व्यावसायिक	क्षेत्रफल (वर्गगज)
1	श्री जगदीश प्रसाद मोहिल पुत्र श्री नारायण लाल	वार्ड सं. 07 रैगरों का मोहल्ला जोबनेर	श्री रामाकिशन पुत्र श्री छोटूराम मौर्य की जमीन	श्री बालूराम रैगर की जमीन	श्री हुक्मा रैगर का मकान	जेबनेर कालवाड रोड	आवासीय	88.88 वर्गगज
2.	श्री अब्दुल सलीम पुत्र श्री फकीर मोहम्मद	वार्ड सं 15 पठानो का मोहल्ला जोबनेर	श्री शकील अहमद का हिस्सा	श्री मुराद खां की जमीन व गली	श्री बल्लू कुरेशी का मकान	आम रास्ता	आवासीय	117.38 वर्गगज
3.	श्री दिनेश पारीक पुत्र स्वं श्री जीवणलाल पारीक	वकीलो का मोहल्ला जोबनेर	श्री श्रवण लाल का बाडा	श्री कैलाशका मकान	श्री श्रवण लाल का मकान	आम रास्ता	आवासीय	88.88 वर्गगज
4.	श्री दिनेश पारीक पुत्र स्वं श्री जीवणलाल पारीक	वकीलो का मोहल्ला जोबनेर	सार्वजनिक चौक	श्री जगदीश चोहान का मकान	श्री गोपाल लाल, रामलाल वगैरह का मकान	आम रास्ता सडक	आवासीय	128.68 वर्गगज
5.	श्री अशोक कुमार स्वं श्री कानाराम	वार्ड नं. 17 रैगरो का मोहल्ला जोबनेर	आम रास्ता गली	श्री राजेन्द्र नोगिया का मकान	श्री नन्द किशोर जाजोरिया	रास्ता 15 फिट चौडा	आवासीय	86.88 वर्गगज
6.	श्री मूलचन्द मीणा, बाबूलाल मीणा, बजरंग लाल पुत्रान् श्री केशरलाल मीणा	वार्ड नं. 09 मीणो का मोहल्ला जोबनेर।	अन्य की जमीन	श्री रामलाल, मदन लाल, पुत्र श्री नाथूराम मीणा का भूखण्ड	ओम जी खटीक व आनन्दी लाल जी खटीक की दुकान व पुराना बाजार रास्ता	मन्दिर श्री कल्याण जी व रमेश चन्द प्रहलाद चन्द जैन का मकान	आवासीय	222.43 वर्गगज

निमार्ण ईजाजत

क्रं. सं.	आवेदक का नाम मय पिता/पति	वार्ड/कॉलोनी/गली का नाम	आसे पासे का विवरण: पूर्व	पश्चिम	उत्तर	दक्षिण	आवासीय/व्यावसायिक	क्षेत्रफल (वर्गगज)
1	श्री उस्मान गनी पुत्र श्री इमामुदीन	वार्ड नं.15 सराय मोहल्ला जोबनेर	आम रास्ता	श्री फतेह मोहम्मद पुत्र श्री कमरूदीन का मकान	चौक व आम रास्ता	श्री दौलत चन्द पाटनी की दुकान	आवासीय	52.25 वर्गगज

राज.संवाद/सी/25/3033
अधिशाषी अधिकारी

बैंक ऑफ़ बड़ौदा Bank of Baroda
एमएसए पार्क स्ट्रीट शाखा, 7, सेठी सदन, एम. आई. रोड़, जयपुर-302001
फोन नं.: 8094018322, ई-मेल: muljai@bankofbaroda.com
अचल संपत्ति के विक्रय हेतु विक्रय नोटिस
''परिशिष्ट-IV-क'' [नियम 8(6) का परन्तुक देखें]
प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) के परन्तुक के साथ पठित वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अधीन अचल आस्तियों के विक्रय हेतु ई-नीलामी विक्रय नोटिस। आम लोगों को तथा विशेष रूप से उधार लेने वाले और प्रत्याभूति-दाता को यह नोटिस दिया जाता है कि नीचे वर्णित अचल संपत्ति जो प्रतिभूत लेनदार के पास गिरवी है, का कब्जा प्रतिभूत लेनदार के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया गया है, को ''जैसी है जहां है'', ''जो है जैसी है'' और ''जितनी भी उपलब्ध है'' के आधार पर बैंक ऑफ बड़ौदा, प्रतिभूत लेनदार की बकाया राशि नीचे उल्लेखित खातों की वसूली हेतु बेचा जाएगा। ऋणियों/बंधककर्ताओं/जमानतदारों/प्रतिभूत आस्तियों/बकायों/आरक्षित मूल्य/ई-नीलामी की दिनांक व समय, धरोहर राशि एवं बोली वृद्धि राशि का विवरण नीचे वर्णित है-

क्रं./लॉट सं.	ऋणियों/जमानतदारों/बंधककर्ताओं के नाम एवं पते	ज्ञात संपत्ति के साथ अचल संपत्ति का संक्षिप्त विवरण, यदि कोई हो	कुल बकाया राशि मांग पत्र के अनुसार	ई-नीलामी की दिनांक / ई-नीलामी का समय प्रारम्भ समय से समाप्ति समय	आरक्षित मूल्य / धरोहर राशि (ईएमडी) / बोली वृद्धि राशि	कब्जे की स्थिति (सांकेतिक/भौतिक)	संपत्ति निरीक्षण की दिनांक व समय
1.	मैसर्स नंदनी एंटरप्राईजेज जरिये प्रोपराईटर श्री ललित किशोर अग्रवाल पुत्र श्री बनवारी लाल अग्रवाल जी-2, गैलेक्सी स्टार, ए-2, सेन्ट्रल स्पाईन, विद्याधर नगर, जयपुर 302039 एवं रोहिणी नगर, वार्ड नं. 4, कचोलिया रोड, चौमू 303702	श्री ललित किशोर अग्रवाल पुत्र श्री बनवारी लाल अग्रवाल के नाम औद्योगिक परिवर्तित भूमि खसरा नं. 36, बुक नं. 1, वोल्यूम 14, पृष्ठ नं. 178, क्रमांक 202003322100243 दिनांक 17.07.2020 को पंजीकृत जो गाँव चक धानोता, ग्राम पंचायत गोविन्दपुरा बासड़ी, तहसील शाहपुरा, जिला जयपुर 303804 पर स्थित है, जिसका क्षेत्रफल 0.92 हेक्टेयर या 9200 वर्ग मीटर है। अन्य ऋण भार: ज्ञात नहीं	रूपये 81,22,026.74 दिनांक 30.11.2024 को बकाया एवं इसके आगे का ब्याज व अन्य वसूली खर्चे इत्यादि।	10.06.2026 दोपहर 02:00 बजे से सायं 06:00 बजे तक	आरक्षित मूल्य- रूपये 86,13,000/- धरोहर राशि- रूपये 8,61,300/- बोली वृद्धि राशि- रूपये 10,000/-	सांकेतिक	05.06.2026 सुबह 11:00 बजे से सायं 05:00 बजे तक

विक्रय के निबंधन और शर्तों के ब्यौरे के लिए कृपया नीचे दिए गए वेबसाइट अर्थात https://www.bankofbaroda.in/e-auction.htm एवं ऑनलाईन नीलामी पोर्टल https://baanknet.com देखें। इसके अलावा संभावित बोलीदाता प्राधिकृत अधिकारी से मोबाईल नं. 8094018322 पर संपर्क कर सकते है।
दिनांक: 19.05.2026
स्थान: जयपुर
(अवशेष मिश्रा)
प्राधिकृत अधिकारी
बैंक ऑफ बड़ौदा